>

Title: Election of 02 Members from Lok Sabha to the Public Accounts Committee.

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): महोदया, मैं पुरताव करता हूं:-

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के पूक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 309 के उप-नियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उप-नियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से समिति की शेष अविध के लिए श्री सर्वे सत्यनारायण और डॉ0 शशी थरूर जिन्हें मंत्रियों के रूप में नियुक्त किया गया है, के स्थान पर लोक लेखा समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

...(Interruptions)

MADAM CHAIRMAN: The question is:

"That the members of this House do proceed to elect in the manner required by sub-rule (3) of Rule 254 read with sub-rule (1) of Rule 309 of the Rules of Procedure & Conduct of Business in Lok Sabha, two members from amongst themselves to serve as members of the Public Accounts Committee for the un-expired portion of the term of the Committee *vice* Shri Sarvey Sathyanarayana and Dr. Shashi Tharoor appointed as Ministers."

The motion was adopted.

-